न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0 संख्या–181/2015
विचारण संख्या–2625/2021
हसपुरा थाना कांड संख्या :–32/2015

27.09.2022 आवेदक/अभियुक्त नूर आलम खान की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई। सूचिका की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ संधि हेतु अनुमति आवेदन तथा उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदक पुलिस जमानत पर है, जिसका जिक्र केस डायरी के पैरा–41 में अंकित है । आवेदक का अपराधिक इतिहास नही है । आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप झूठा एव बनावटी है । आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार से सूचिका को प्रताडि.त नही किया गया है और न ही दहेज की मॉग किया गया है । उभय पक्ष के बीच संधि हो गई है । संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियाजन पदाधिकारी जमानत का विरोध नही करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 498ए 504/34 भा0दं0सं0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। सूचिका न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन करती है कि आवेदक से सुलह हो गई है । मुझे अब कोई शिकायत नहीं है । उसे जमानत प्रदान करने में कोई आपत्ति नही है । संयुक्त संधि आवेदन आज उभय पक्ष की ओर से दाखिल है । आवेदक पुलिस जमानत पर भी है, जिसका जिक केस डायरी में अंकित है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं संधि के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त का जमानत स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त को मो0–10000X1 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।